

राजस्थान सरकार  
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 17/भू0अ0/ज0स0/2013/पार्ट II/ 1298  
घोषणा

दिनांक : 20-05-19

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बड़ा नया गांव लघु सिंचाई परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम सियाना की निजी भूमि में स्थित मकानों की अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डोली, को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डोली, तथा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बून्दी के कार्यालय में किया जा सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार।

सलग्न:-सूची।

आज्ञा से,

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्राव. सहायक  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 20-05-2019

क्रमांक 17/भू0अ0/ज0स0/2013/पार्ट II/ 1299 - 1302  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, कोटा।
- 2-निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृपया प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
- 3- अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, बून्दी को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-  
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे।  
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डोली, को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सांराश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्राव. सहायक  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 20-05-19

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत बड़ानया गाँव लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि में स्थित मकानों की सूची

ग्राम -सियाणा		तहसील- हिण्डोली		जिला-बून्दी	
क्र.सं.	मकान नं०	मकान मालिक का नाम	मकान की स्थिति	खसरां नं०	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6
1	32	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री किशोर जाति दरोगा	कच्चा	448	बरानी 2
2	33	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री किशोर जाति दरोगा	पक्का	448	बरानी 2
3	46	श्री रामलाल पुत्र श्री बिसन लाल जाति खारोल	कच्चा	275	चाही 3
4	47	श्री हेमराज पुत्र श्री रामनारायण जाति खारोल	कच्चा	275	चाही 3
5	48	श्री देवलाल पुत्र श्री बजरंग लाल जाति प्रजापति	पक्का	275	चाही 3
6	49	श्री राधाकिशन पुत्र श्री बजरंग लाल जाति प्रजापति	कच्चा	275	चाही 3
7	50	श्री मोहन पुत्र श्री धूला जाति प्रजापति	पक्का	274	गै.मु.चाह
8	77	श्री बाबूलाल पुत्र श्री कल्याण जी, लाला पुत्र श्री बाबूलाल जाति दरोगा	पक्का	443	बरानी 2
9	78	श्री प्रभुलाल पुत्र श्री मोहन लाल जाति दरोगा	पक्का	443	बरानी 2
10	79	श्री मदन लाल पुत्र श्री मोहन लाल जाति दरोगा	पक्का	443	बरानी 2
11	H	श्रीमती हेमकंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत ग्राम सियाणा	पक्का	29-30	बंजड़ बरानी 3

भूमि अर्जाधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डोली

(जम्बू जैन)  
सहायक अभियन्ता  
जल संसाधन उपखण्ड हिण्डोली

(आर.के.पाटनी)  
अधिशायी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड बून्दी

(117)  
अधीक्षण अभियन्ता  
रा० प्र० सा० एवं ज० सा० बांध वृत्त  
कोटा

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत बड़ानया गाँव लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि में स्थित मकानों की सूची

इकजाई गोश्वारा

क्र.सं.	नाम ग्राम	तहसील	निजी मकानों की संख्या	अन्य सार्वजनिक एवं सरकारी भवनों की संख्या	कुल मकान/भवन
1	सियाना	हिण्डोली	11	0	11
		कुल योग	11	0	11

जम्बू  
(जम्बू जैन)  
सहायक अभियन्ता  
जल संसाधन उपखण्ड हिण्डोली

भूमि अर्जा अधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डोली

बून्दी  
(आर.के.पाटनी)  
अधिशायी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड बून्दी



प्रति हस्ताक्षरित  
दिनेन्द्र दीक्षित  
उप वासिन सचिव अधीक्षण अभियन्ता  
यं व.स.बास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान, जयपुर

अधीक्षण अभियन्ता  
ए० प्र० सा० एवं ज० सा० वांछं वृत्त  
क्षेत्र

ole  
21/5/19